# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 65/2024

उनवान

सीमा पत्नी दशरथ यादव म.न. 3263 सुतरखाना नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री तेज सिंह

बनाम

1. सीता यादव पत्नी बोदूराम,
2. माया पत्नी मान सिंह, जाति यादव, पुरानी देवली चुंगी चौकी कोटा, रोड नसीराबाद,
3. रघुवीर पुत्र स्वरूपा जाति जाट नि0 दिलवाडा, नसीराबाद,
4. उपपंजीयक, नसीराबाद,
5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थी :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड
4 व 5 जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :—

प्रार्थी ने जरियें अधिवक्ता उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बैवंजा के हाल खसरा नम्बर 2868/2859 रकबा 0.01, 2869/2859 रकबा 0.0460 प्रार्थी की भूमि है। दोनो ही खसरा नम्बर पर प्रार्थी की पूजा का स्थान है। प्रार्थी अपने परिवार सहित पूजा पाठ करता है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में संयुक्त खातेदारी में है। जिसका विभाजन नही हुआ है। उक्त चाह के विधुत का बिल प्रार्थी ही अदा करता है। उक्त भूमि का बिना विभाजन कराये अप्रार्थी संख्या 1 बैचान करने पर आमादा है व प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। अतः अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि जवाबकर्ता अपने हिस्से अनुसार ही काबिज चला आ रहा हैं जवाबकर्ता को हैरान परेशान करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। जवाब कर्ता राजस्व अभिलेख में खातेदार होने से उसे पाबंद नही किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय को इकरारनामें के आधार पर सुनवाई का श्रेत्राधिकार नही है। सुखाचार बाबत सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। अतः प्रार्थना पत्र [illegible]

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस [illegible] किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 13:59:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा प्रार्थी व अप्रार्थी की सह खातेदारी की है। खसरा नम्बर 2868/2859 रकबा 0.01 की किसम गै.मु. चाह है जिसका विभाजन संभव नही है। खसरा नम्बर 2869/2859 रकबा 0.0460 चाह के आस–पास की भूमि है। जिसका उपयोग चाह पर आवागमन व सिचांई के अन्य कार्य के लिये होता है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त आराजी का बैचान जरियें इकरारनामा किया हैं किन्तु इकरारनामा न्यायालय में पेश नही किया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी का हिस्सा बैचान नही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आराजी मुतनाजा की जमाबंदी में उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की सह खातेदारी में है। उक्त जमाबंदी में विभाजन व रूपान्तकरण का नोट भी अंकित है। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य कौन से खसरा नम्बर का विभाजन पूर्व में हुआ है यह प्रार्थी ने स्पष्ट नही किया है। जमाबंदी में अंकित रूपान्तरण का नोट कोन से खसरा नम्बर बाबत है यह भी प्रकरण में स्पष्ट नही है। अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुतनाजा का सह खातेदार है। चाह की भूमि का विभाजन नही हो सकता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही तय होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की सह खातेदारी की है। प्रार्थी द्वारा चाह व उसे आस–पास की भूमि का विभाजन चाहा है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्यो का गुणावगुण पर निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

**आदेश** :– अतः ग्राम बैवंजा की आराजी मुतनाजा ग्राम बैवंजा के हाल खसरा नम्बर 2868/2859 रकबा 0.01, 2869/2859 रकबा 0.0460 पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 13:59:21 IST
Reason: SelfAttested